

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राज. जयपुर

क्रमांक :- एफ.10(सी)(एसीआर)(अ.स.)सलेअ-1/

दिनांक:-

श्री देवी सिंह मीणा,
सहायक लेखाधिकारी-प्रथम,
कार्यालय, विकास अधिकारी, पंचायत समिति,
हिण्डोन (करौली)

विषय:- कारण बताओं नोटिस ।

प्रसंग:- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ10(एपीएआर)(सलेअ-ग्रेड-1)(अचल सम्पत्ति)
2020/193 दिनांक 14.07.2020

उपर्युक्त प्रांसागिक परिपत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में संभावित रिक्तियों के विरुद्ध आपकी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम से लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति का प्रकरण विचाराधीन होने के कारण अचल सम्पत्ति विवरण चाही थी, परन्तु आप द्वारा निर्धारित तिथि 31 अगस्त 2020 तक अचल सम्पत्ति विवरण (जनवरी, 2020) ऑन लाइन के रूप में प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि अचल सम्पत्ति विवरण भरने के लिए आपको व्यक्तिगत दूरभाष से तथा वेब साईट पर सूचना के माध्यम से अवगत कराया गया था ।

आप द्वारा अभी तक भी अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत नहीं करने का क्या कारण है, स्पष्टीकरण 7 दिवस में प्रस्तुत करें । अन्यथा आपके विरुद्ध विभागीय निर्देशों की अवहेलना के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी ।

ED

(मुकुन्द सोहोनी)

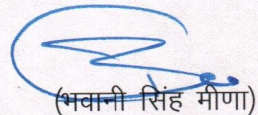
निदेशक

क्रमांक :- एफ.10(सी)(एसीआर)(अ.स.)सलेअ-1/ 382-384

दिनांक:- 22/7/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-प्रथम) कार्यालय हाजा ।
2. उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर उपलोड करने हेतु ।
3. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डोन (करौली) को वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प.13(76)का/क-1/गो.प्र./2011 जयपुर दिनांक 25.06.2014 अनुसरण में उक्त कार्मिक के वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने हेतु निर्देशित किया जाता है । - रजि. 322230



(भवानी सिंह मीणा)

अति.निदेशक(कार्मिक-प्रथम)

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राज. जयपुर

क्रमांक :- एफ.10(सी)(एसीआर)(अ.स.)सलेअ-1/ 381

दिनांक:- 29/7/20

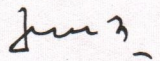
श्री देवी सिंह मीणा,
सहायक लेखाधिकारी-प्रथम,
कार्यालय, विकास अधिकारी, पंचायत समिति,
हिण्डोन (करौली) - 322230

विषय:- कारण बताओं नोटिस ।

प्रसंग:- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ10(एपीएआर)(सलेअ-ग्रेड-1)(अचल सम्पत्ति) 2020 / 193 दिनांक 14.07.2020

उपर्युक्त प्रांसागिक परिपत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में संभावित रिक्तियों के विरुद्ध आपकी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम से लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति का प्रकरण विचाराधीन होने के कारण अचल सम्पत्ति विवरण चाही थी, परन्तु आप द्वारा निर्धारित तिथि 31 अगस्त 2020 तक अचल सम्पत्ति विवरण (जनवरी, 2020) ऑन लाइन के रूप में प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि अचल सम्पत्ति विवरण भरने के लिए आपको व्यक्तिगत दूरभाष से तथा वेब साईट पर सूचना के माध्यम से अवगत कराया गया था ।

आप द्वारा अभी तक भी अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत नहीं करने का क्या कारण है, स्पष्टीकरण 7 दिवस में प्रस्तुत करें । अन्यथा आपके विरुद्ध विभागीय निर्देशों की अवहेलना के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी ।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक